राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक–प. 17(2) शिक्षा–2/2003 दिनांक : 31.05.2016

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6272/2016 व 117 अन्य में दिनांक: 30.05.2016 को पारित आदेश एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा 31.05.2016 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सैट अप परिवर्तन उपरान्त परामर्श कैम्प (Counseling) द्वारा पदस्थापित याचिकार्थियों की परिवेदनाओं के सम्यक निस्तारण हेतु ज़िला स्तर पर निम्नानुसार परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया जाता है :–

1. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (सम्बन्धित मण्डल) — अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय (सम्बन्धित जिला) — सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय (सम्बन्धित जिला) — सदस्य सचिव

परन्तु जिस जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक के प्रथम व द्वितीय कार्यालय है वहां दोनों जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक, प्रथम व द्वितीय समिति की बैठक में भाग लेगें किन्तु सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम रहेगा।

उक्त समिति का कार्यालय सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा–प्रथम का कार्यालय रहेगा तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा परिवेदनायें समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत की जायेगी। उक्त समिति याचिकाकर्ताओं से प्राप्त परिवेदनाओं का माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्धारित समय सीमा में सम्यक् निस्तारण करेगी तथा सुधारात्मक उपाय (appropriate corrective steps) भी करेगी। इस हेतु निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. प्रत्येक परिवेदना का पंजीयन पृथक रजिस्टर में किया जावेगा तथा पंजीयन उपरान्त दिनांक एवं समय अंकित कर प्रार्थी को प्राप्ति रसीद प्रदान की जायेगी।
2. जिन याचिकाकर्ताओं की काउन्सलिंग हो चुकी है, वे दिनांक 01 एवं 02 जून 2016 को अपनी परिवेदना उक्त समिति को प्रस्तुत करेगें।
3. जिन याचिकाकर्ताओं की काउन्सलिंग सम्पादित होनी शेष है, वे उनके काउन्सलिंग दिवस के पश्चातवर्ती दो दिवस में अपनी परिवेदना उक्त समिति को प्रस्तुत कर सकेगें।
4. उक्त समिति याचिकाकर्ताओं से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण पंजीयन तिथि से तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से सकारण स्पिकिंग आदेश जारी कर करेगी एवं इसकी सूचना सम्बन्धित याचिकाकर्ता को विभागीय पोर्टल के माध्यम से संसूचित करेगी।
5. उक्त परिवेदना निस्तारण समिति के गठन एवं निर्देशों को विभागीय वेबसाईट तथा पोर्टल पर प्रसारित किया जायेगा।

31.5.16

निरन्तर–2

D:\dipesh office\2016\gen letter.docx

6. याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण भी नियत समय में किया जायेगा।

आज्ञा से,

31.5.16

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि समिति गठन के उक्त आदेश विभागीय बेबसाईट तथा पोर्टल पर भी अपलोड कराने का श्रम करें।
6. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा संभाग को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि मा0 उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 30.5.2016 की पालना सुनिश्चित की जावे।
7. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जोधपुर/जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला...।
9. रक्षित पत्रावली।

31.5.16

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक–प. 17(2) शिक्षा–2/2003 दिनांक : 31.05.2016

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2016 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6272/2016 व 117 अन्य में दिनांकः 30.05.2016 को पारित आदेश एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा 31.05.2016 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सैट अप परिवर्तन उपरान्त परामर्श कैम्प (Counseling) द्वारा पदस्थापित याचिकार्थियों की परिवेदनाओं के सम्यक निस्तारण हेतु जिला स्तर पर परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया जाकर परिवेदना निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये है, की निरन्तरता में **बिन्दु संख्या–6 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिवेदना समिति के समक्ष याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त उन्हीं शिक्षकों द्वारा परिवेदना प्रस्तुत की जा सकेगी जो काउन्सलिंग में उपस्थित हुये है, द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं का निस्तारण भी नियत समय** में किया जायेगा।

आज्ञा से,

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि समिति गठन के उक्त आदेश विभागीय बेबसाईट तथा पोर्टल पर भी अपलोड कराने का श्रम करें।
6. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा संभाग को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि मा० उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 30.5.2016 की पालना सुनिश्चित की जावे।
7. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जोधपुर/जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला...।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

D:\dipesh office\2016\gen letter.docx